न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 22.09.2015

अपील संख्या 2015/00171

उनवान

1– कन्हैयालाल आत्मज धूल्या
2– रामप्रताप आत्मज धूल्या
3– रामनारायण आत्मज धूल्या
4– रामकल्याण आत्मज धूल्या
5– चन्द्र प्रकाश आत्मज धूल्या
अकवाम जाति माली, निवासीगण ग्राम निपानी, तहसील छबडा, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– कैलाश आत्मज राधाकिशन
2– चतुर्भुज आत्मज राधाकिशन
3– कालीबाई पुत्री राधाकिशन
4– प्रेमबाई पुत्री राधाकिशन
5– गुड्डीबाई पुत्री राधाकिशन
6– कौशल्या बाई बेवा राधाकिशन
अकवाम जाति माली, निवासीगण ग्राम निपानी, तहसील छबडा, जिला बारां
7– रामदयाल आत्मज श्यामलाल, जाति मीना, निवासी बालापुरा हाल निवासी निपानी, तहसील छबड़ा, जिला बारां .... रेस्पोडेंट
8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

दिनांक : 29.04.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 183/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 6 व अपीलांट नं. 1 लगायत 5 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में ग्राम निपानी, तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 72/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 106 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 256 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, कुल 7 किता कुल रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात स्थित चली आ रही थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2013 से प्रकरण सं. 157/05 दावा उनवान रामदयाल बनाम राधेश्याम चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद 183/05 कैलाश बनाम रामदयाल स्वीकार किया जाता है। ग्राम निपानी, तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 3.17 बीघा पर वादी नं. 1 ता 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इन्तकाल नं. 220 दिनांक 23.07.97 खारिज किया जाता है कि प्रतिवादी नं. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण 7 लगायत 11 अपीलांट नं. 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे एवं वकालतनामा व अन्य दस्तावेज पर अपना अंगूठा निशानी पेश नहीं की

वादीगण 1 से 6 रेस्पोडेंट 1 से 6 ने अपने हक में डिक्री प्राप्त करने की नियत से वाद प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है, जो अवैधानिक है। विकल्प में यदि माननीय न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे पर यदि अपीलांट के ही हस्ताक्षर व अंगूठा माने तब भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी 256 रकबा 3.17 बीघा ग्राम निपानी तहसील छबडा की आराजी के मामले में वादीगण का वाद 183/05 स्वीकार करने के बाद भी केवल वादीगण 1 से 6 अर्थात रेस्पोडेंट 1 लगायत 6 को खातेदार घोषित किया जबकि वादीगण 7 से 11 अर्थात अपीलांट 1 लगायत 5 को भी खातेदार घोषित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 05.08.2013 जैर अपील से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित मामले में कायम की गई समस्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की है न कि केवल वादीगण 1 लगायत 6 के पक्ष में। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में ऐसी स्पष्ट फाईन्डिंग नहीं दी जिससे विवादित आराजी के मामले में केवल वादीगण 1 से 6 का ही वाद डिक्री होने योग्य पाया हो। वादीगण में अपीलांट भी शामिल है ऐसी स्थिति में अपीलांट के हक में भी डिक्री एवं निर्णय पारित होना चाहिये। कानूनन विवादित आराजी खसरा नम्बर 256 की 3.17 बीघा में अपीलांट का हक एवं अधिकार है केवल रेस्पोडेंट द्वारा अपना कब्जा बताने से अपीलांट के हक व अधिकार समाप्त नहीं हो जाते किसी भी कानून के तहत अपीलांट के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहीं पर भी यह फाइन्डिंग नहीं दी जिससे अपीलांट (वादीगण 7 लगायत 11) के हक व अधिकार समाप्त होना माना गया हो, इस कारण सभी वादीगण 1 लगायत 11 के हक में भी वाद डिक्री होना चाहिये। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2013 निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री संशोधित किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 लगायत 6 (वादीगण 1 लगायत 11) को विवादित खसरा नम्बर 256 की 3.17 बीघा आराजी का खातेदार घोषित फरमाते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.08.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलांट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने बहस अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी का खाता शामलाती था तथा रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी प्रकार का बंटवारा करने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय में दायर वादपत्र में वादीगण 1 लगायत 11 द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. 256 वादीगण 1 लगायत 6 को देने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि तनकी नं. 1 से 3 तक वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है ना कि वादीगण 1 लगायत 6 के पक्ष में। साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादपत्र में कोई भी मांग की जा सकती है लेकिन न्यायालय को रिकॉर्ड के अनुसार निर्णय करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नं. 256 वादीगण 1 लगायत 6 के कब्जे काश्त एवं पृथक खाते में होने का कोई तथ्य प्रकट नहीं होने के कारण हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.8.2013 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस

दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 6 की साक्ष्य के आधार पर तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा